

## न्यायालय अतिरिक्त सम्भागीय आयुक्त, अजमेर

(निर्णय बईजलास गजेन्द्र सिंह राठौड, आर0ए0एस0 अतिरिक्त संभागीय आयुक्त,अजमेर)

अपील एल0आर0 एक्ट संख्या :-06/2022/टोंक

हनुमान पुत्र घासी मीना, जाति मीना, निवासीगण सुरेली, तहसील उनियारा, जिला टोंक।

--अपीलांट

### **बनाम**

राजस्थान सरकार जरिये नायब तहसीलदार, उपतहसील बनेठा, जिला टोंक।

--रेस्पोजेन्ट

अपील अन्तर्गत धारा 76 राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम 1956 विरुद्ध विदवान न्यायालय जिला कलक्टर टोंक द्वारा पारित निर्णय दिनांक 25.11.2021 जो अपील संख्या 51/2021 उनवानी हनुमान बनाम नायब तहसीलदार में पारित किया गया।

उपस्थित अभि0:-श्री दिनेश साहू(वकील अपी0)

श्री आकाश पारीक(राजकीय अभि0)

### निर्णय

दिनांक:-20.05.2022

संक्षिप्त में अपील के तथ्य इस प्रकार है कि ग्राम सुरेली उपतहसील बनेठा जिला टोंक, के खसरा नम्बर 1857 रकबा 0.06 हे0 भूमि पर मकान व बाड़ा बनाकर अपीलांट द्वारा अतिक्रमण कर रखा है। जिस पर नायब तहसीलदार बनेठा ने एल आर एक्ट की धारा 91 के तहत प्रकरण दर्ज करते हुए अपीलांट को दोषी मानते हुए दिनांक 16.07.2021 को विवादित आराजी से बेदखल करने पैनल्टी कायम कर दो महिने के सिविल कारावास की सजा से दण्डित करने का आदेश दिया। उक्त आदेश के विरुद्ध न्यायालय जिला कलक्टर टोंक के यहां प्रथम अपील प्रस्तुत की। जिसे उन्होंने अपने निर्णय दिनांक 25.11.2021 से खारिज कर दिया। अतः यह अपील निम्न आधार पर प्रस्तुत की जा रही है-

1. प्रथम अपील अधिकारी ने नायब तहसीलदार बनेठा द्वारा अपीलांट के विरुद्ध एकपक्षी कार्यवाही पर विचार नहीं किया है।
2. अपीलांट 50 से 60 वर्ष से मकान बनाकर उक्त विवादित जमीन पर अन्य कहीं परिवारों के साथ वहां निवास कर रहे हैं। इन मकानों में बिजली व पानी के कनेक्शन भी तथा यह भूमि चरागाह के काम भी नहीं आती है तथा उनके द्वारा वास्तविक रिपोर्ट मंगवाये बिना उक्त निर्णय पारित किया।
3. आबादी विस्तार हेतु खसरा नम्बर 1857 रकबा 1.88 हे0 आरक्षित करने हेतु मामले जिला प्रशासन के यहां पैडिंग है।
4. यह कि पूर्व में भी इसी खसरा नम्बर बाबत एक अन्य केस नायब तहसीलदार बनेठा जिला कलक्टर टोंक , आरए टोंक से अपीलांट की अपील खारिज होने के



बाद राजस्व मण्डल अजमेर में एक निगरानी संख्या 964/2017 प्रस्तुत की गई है। जिसमें दिनांक 06.03.2017 को सजा स्थगन कर दी गई है जो आदेश आज भी प्रभावहीन है। इसी आराजी नम्बर पर कहीं सरकारी भवन बने हुए है। प्रकरण संख्या 964/2017 निगरानी राजस्व मण्डल अजमेर में विवादित आराजी नम्बर 1857 की मौका रिपोर्ट बाबत प्रार्थना पत्र दिनांक 17.02.2020 को स्वीकार किया हुआ है।

5. विवादित आराजी हेतु प्रशासन गांवों के संग अभियान दिनांक 29.01.2013 को ग्राम पंचायत बनेठा द्वारा उक्त खसरा में विरासत व्यक्तियों के नाम पट्टा जारी करने हेतु प्रस्ताव लिया था।

इसी खसरा नम्बर हेतु अपीलांट द्वारा एक राजस्व वाद दायर किया हुआ था। इन सब बातों के होते हुए जानकारी होने के बावजूद नायब तहसीलदार बनेठा द्वारा दिनांक 16.07.2021 तथा अपीलाधीन आदेश दिनांक 25.11.2021 पारित करने में भूल की है। अतः अब दोनों आदेश को निरस्त किया जायें तथा विवादित भूमि का अपीलांट के पक्ष में नियमन किया जायें। साथ ही एक अन्य प्रार्थना पत्र धारा 151 सीपीसी मय शपथ पत्र प्रस्तुत किया है जिसके द्वारा उन्होंने नायब तहसीलदार बनेठा के आदेश 16.07.2021 की पालना एवं प्रभाव को स्थगन किया जायें। व सिविल कारावास की सजा स्थगित करते हुए मौके की यथास्थिति बनाई रखी जायें। साथ ही एक अन्य प्रार्थना पत्र नियम 17 रेवन्यु कोट मैनुअल मय शपथ पत्र प्रस्तुत किया है जिसमें उन्होंने आदेश दिनांक 16.07.2021 की नकल प्राप्त नहीं होने की वजह से प्रमाणित प्रति प्रस्तुत करने में छूट प्रदान की जायें।

अपील प्राप्त होने पर क्षेत्राधिकार में होने से अपील दर्ज की जाकर रेस्पों को नोटिसेज जारी कर रिकॉर्ड तलब किया जाकर प्राप्त किया गया। बहस उभयपक्ष सुनी गई।

अपीलांट अभि० के अनुसार दिनांक 16.07.2021 को नायब तहसीलदार बनेठा द्वारा अपीलांट की बेदखली एवं सिविल कारावास की सजा सुनाई गई जबकि पूर्व प्रकरण निगरानी के अंदर राजस्व मण्डल में दर्ज होकर स्टे प्राप्त हो रखा है। रेस्पों मकान तोड़ना चाहते हैं जबकि पूर्व प्रकरण पैडिंग है जिसके खसरा नम्बर एवं पक्षकार समान होने से रेस जुड़ीकेता का सिद्धांत लागू होता है। इसी खसरा नम्बर हेतु ग्राम पंचायत द्वारा किस्म परिवर्तन हेतु प्रस्ताव भेजा गया था जो पैडिंग है। राजस्व मण्डल द्वारा मौका रिपोर्ट मंगवायी गई है। रेस जुड़ीकेता होते हुए भी नायब तहसीलदार बनेठा द्वारा उक्त नया प्रकरण 1034/2021 दर्ज कर निर्णित कर दिया गया है जो नियमों के विरुद्ध है। उक्त खसरा नम्बर में कहीं मकान एवं सरकारी भवन बने हुए है सरकारी उक्त क्षेत्र केलापुरा ढाणी के नाम से जाना जाता है अतः अपीलाधीन आदेशों को स्थगित करते हुए सीधा प्रस्तुत किया गया। राजकीय अभि० ने बहस में बताया कि नायब तहसीलदार बनेठा द्वारा विधि अनुसार कार्यवाही की हुई है। वर्तमान प्रकरण अपीलांट द्वारा पश्चातवर्ती अतिक्रमण की वजह से दर्ज किया गया है। अपीलांट चाहे तो कंटेक्ट में जा सकता है। अपीलांट को वाद प्रस्तुत करना चाहिए था। स्वयं अपने आप को अतिक्रमी बता रहे हैं।

अपील खारिज की जायें। बहस बिन्दुओं पर मनन किया गया। रिकोर्ड पर उपलब्ध दस्तावेजों का अवलोकन किया गया। सर्वप्रथम मियाद अवधि को देखा जाना है। अपीलाधीन आदेश दिनांक 25.11.2021 को जारी हुआ है तथा अपीलांट द्वारा अपील न्यायालय हाजा में दिनांक 11.01.2022 को प्रस्तुत कर दी गई है तथा अपील अंदर मियाद प्रस्तुत किया जाना पाया जाता है। अपीलांट द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र नियम 17 रेवन्यु कोर्ट मैनुअल का अवलोकन किया गया। अपीलांट द्वारा चूंकि नायब तहसीलदार द्वारा जारी आदेश दिनांक 16.07.2021 की प्रमाणित प्रतिलिपी प्राप्त करने का प्रयास किया जा रहा है। अतः प्रमाणित प्रतिलिपी प्रस्तुत करने में उन्हें छूट प्रदान करने का प्रार्थना पत्र उचित होने से स्वीकार किया जाता है। अपीलांट द्वारा एक अन्य प्रार्थना पत्र धारा 151 सीपीसी भी प्रस्तुत किया गया है। जिसे अपील के साथ ही निर्णित किया जा रहा है। अपीलांट द्वारा प्रस्तुत राजस्व मण्डल निगरानी 964/2017 की ऑर्डरशीट दिनांक 06.03.2017 का अवलोकन किया गया। जिसके अनुसार नायब तहसीलदार बनेठा निर्णय दिनांक 06.12.2013 की पालना तथा सिविल कारावास की सजा मण्डल की आगामी पेशी तक स्थगित की जाती है। दिनांक 17.02.2020 को ऑर्डरशीट में यह अंकित किया हुआ है कि विवादग्रस्त आराजी खसरा नम्बर 1857 ग्राम सुरेली तहसील उनियारा की मौका रिपोर्ट तहसीलदार उनियारा से तलब हों। राजस्व मण्डल के ऑर्डरशीट के अवलोकन से पता चलता है कि स्थगन आदेश अभी तक प्रभावी है। जिसमें मौके की रिपोर्ट मंगवायी गई है। खसरा नम्बर 1857 ग्राम सुरेली ही बताया गया है तथा निगरानीकर्ता के रूप में भंवरलाल पिसरान घासी, हनुमान पिसरान घासी, शंकर पिसरान घासी जाति मीणा निवासी सुरेली अंकित है। उक्त निगरानी आरएए टोंक द्वारा प्रकरण संख्या 47/2014 में पारित निर्णय दिनांक 31.01.2017 के विरुद्ध की हुई है। नायब तहसीलदार के निर्णय प्रकरण संख्या 1034/2021 दिनांक 16.07.2021 का अवलोकन किया गया। जिसके अनुसार "अतिचारी के खिलाफ एक तरफा कार्यवाही अमल में लायी गई, पटवारी हल्का सुरेली के बयान लिये गये, जो शामिल पत्रावली है। जिससे स्पष्ट है कि अतिचारी का अतिक्रमण पश्चातर्वी है। अतः अतिचारी हनुमान पुत्र घासी मीणा निवासी सुरेली को 60 दिवस के सिविल कारावास व लगान 0.48 रूपये की पैनल्टी 24 रूपये अर्थदण्ड से दण्डित किया जाता है।"

जिला कलक्टर टोंक के प्रकरण संख्या 51/2021 निर्णय दिनांक 25.11.2021 का अवलोकन किया गया। जिसके अनुसार "अपीलांट द्वारा राजकीय भूमि खसरा नम्बर 1857 में रकबा 0.6 हे0 किस्म चरागाह वाक्य ग्राम सुरेली तहसील उनियारा पर मकान व बाड़ा बनाकर अतिक्रमण किया है यह पटवारी हल्का की रिपोर्ट एवं बयानों से सिद्ध है। खसरा व पत्रावली के अवलोकन से यह भी ज्ञात होता है कि अपीलांट ने उक्त आराजी खसरा नम्बर इससे पूर्व गत वर्ष में भी अतिक्रमण किया था। जिससे अधीनस्थ न्यायालय प्रकरण संख्या 1733/2020 दिनांक 14.10.2020 से बेदखल किया जाना जाहिर है। अपीलांट द्वारा पूर्व में विवादित खसरा नम्बर 1857 की भूमि पर 0.06 हे0 पर कब्जा कर मकान व बाड़ा निर्माण किया था। जिसका विवाद राजस्व मण्डल अजमेर में विचाराधीन है। अपीलांट राजकीय भूमि पर

बार-बार अतिक्रमण करने का आदि है और चरागाह से अपना कब्जा छोड़ना नहीं चाहता है। ऐसी स्थिति में अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय में हस्तक्षेप किया जाना उचित नहीं है। फलतः अपील अपीलांट अस्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय नायब तहसीलदार बनेठा का निर्णय दिनांक 16.07.2021 यथावत रखा जाता है। स्थगन प्रार्थना पत्र खारिज किया जाता है।”

पत्रावली पर उपलब्ध प्रकरण संख्या 1737/2020 पटवारी रिपोर्ट का अवलोकन किया गया। जिसमें भंवरलाल, हनुमान, शंकरलाल पिता घासी मीणा द्वारा संवत 2077 में खसरा नम्बर 1857 रकबा 1.93 हे० किस्म चरागाह भूमि में मकान व बाड़ा 0.27 हे० रकबा में नाजायज कब्जा बताया। उक्त प्रकरण में निर्णय दिनांक 14.10.2020 को सुनाया गया। जिसमें कब्जा हटाने और फसल कब्जे में लेने हेतु निर्देश दिये गये। उक्त प्रकरण में बेदखली कार्यवाही बाबत विवरण दर्ज हुआ है। नायब तहसीलदार की एक अन्य रिपोर्ट दिनांक 25.01.2021 पत्रावली पर उपलब्ध है। जिसमें उनके द्वारा उपखण्ड अधिकारी उनियारा को प्रार्थना पत्र में प्रस्तुत किया है जिसमें अंकित किया है कि अपीलांट अतिक्रमियों का कब्जा चला आ रहा है तथा पक्का निर्माण कर निवास कर रहे हैं। इनके अलावा भी 14 से 15 परिवार निवास कर रहे हैं। सभी पक्के मकान एक-दूसरे से सट कर बने हुए हैं। बिजली कनेक्शन लिये हुए हैं। उक्त मकान आवास हेतु बनाये गये हैं। एक अन्य रिपोर्ट दिनांक 04.01.2021 द्वारा पटवारी हल्का सुरेली के अनुसार अपीलांट द्वारा संवत 2074 फसल खरिफ में खसरा नम्बर 1857 में 0.27 हे० भूमि पर कब्जा कर अतिक्रमण किया हुआ है। जिसमें 0.03 हे० में मकान व 0.24 हे० में बाड़ा बना हुआ है।

अपीलांट द्वारा इस न्यायालय में अपील प्रस्तुत करने के बाद राजस्व मण्डल अजमेर में निगरानी की गई थी। यह निगरानी अपील संख्या 06/2022 जिला टोंक न्यायालय अतिरिक्त संभागीय आयुक्त अजमेर के आदेश दिनांक 19.01.2022 के विरुद्ध निगरानी दर्ज करवायी गई। जिसे राजस्व मण्डल द्वारा एडमिशन स्थर पर ही खारिज कर दिया गया।

पत्रावली का अवलोकन किया गया, बहस बिन्दुओं मनन किया गया। अधीनस्थ न्यायालय नायब तहसीलदार बनेठा में सुनवाई के दौरान में प्रकरण संख्या 1034/2021 अन्तर्गत एल आर एक्ट में कार्यवाही के दौरान अपीलांट को सुनवाई का अवसर दिया जाता है। यह सही है कि अपीलांट द्वारा खसरा नम्बर 1857 रकबा 0.06 हे० किस्म चरागाह भूमियों पर अपीलांट द्वारा मकान व बाड़ा बनाकर अतिक्रमण किया हुआ है और चरागाह भूमि आवासीय उपयोग में काम में ली जा रही है। पटवारी हल्का द्वारा एक पत्र नायब तहसीलदार बनेठा को भेजा हुआ पाया गया है जो उपतहसील बनेठा में दिनांक 25.01.2021 को पृष्ठांकित हुआ है उक्त पटवारी रिपोर्ट के अनुसार “इस मकानों के अलावा ग्राम सुरेली की आबादी भूमि में भंवरलाल , हनुमान, शंकरलाल पिता घासी मीणा के निवास के लिए मकान नहीं है। उक्त अपीलाधीन आदेश संवत 2078 के लिए दिया गया था। पूर्व संवत 2077 में भी अपीलांट द्वारा मकान , बाड़ा बनाकर अतिक्रमण किया जाना बताया गया। जिसमें बेदखली कार्यवाही, फसल निलामी बाबत निर्णय दिया हुआ है। उक्त निर्णय दिनांक

14.10.2020 को जारी किया हुआ पाया जाता है। जबकि संवत् 2078 में प्रकरण संख्या 1034/2021 में निर्णय दिनांक 16.07.2021 को जारी हुआ। पूर्ववर्ती आदेश में बेदखली कार्यवाही को देखा गया उसके अनुसार मौके पर उपस्थित मौत विरान के सामने बेदखल किया गया तथा उक्त फसल कब्जे राहत दी गई। उक्त कार्यवाही बाआवाज सुनाई गई व पढ़ा कर सुनाई गई। इसके नीचे पटवारी, गिरदावर के हस्ताक्षर है। नायब तहसीलदार की रिपोर्ट दिनांक 25.01.2021 जो उपखण्ड अधिकारी उनियारा को प्रस्तुत की गई थी के अनुसार उक्त अपीलांत अतिक्रमी कही वर्षों से पक्का मकान बनाकर निवास कर रहे है। उनके अलावा भी 14 से 15 परिवार निवास कर रहे है। यह भी सिद्ध हुआ है कि इन लोगो के पास आबादी भूमि में निवास हेतु अन्य मकान नहीं है। स्पष्ट है कि बेदखली की कार्यवाही मात्र कागजों पर की जा रही है , भौतिक रूप से नहीं की जा रही है। संवत् 2075 के बेदखली बाबत निर्णय के बाद ऐसा कोई मौका पर्चा उपलब्ध नहीं है पत्रावली पर जिससे यह पता लगता हो कि अतिक्रमण को भौतिक रूप से हटाया गया। क्योंकि 2077 में भी अपीलांत द्वारा मकान व बाड़ा बनाकर अतिक्रमण किया हुआ होना पाया जाता है अर्थात नायब तहसीलदार द्वारा प्रकरण संख्या 1034/2021 में अपीलांत को पश्चातवर्ती अतिक्रमी माना गया वह गलत है। क्योंकि पूर्ववर्ती संवत् में उसे मौके से भौतिक रूप से बेदखल नहीं किया गया।

राज्य सरकार द्वारा भी चरागाह भूमि पर अतिक्रमण कर कृषि सघन आबादी के नियमितीकरण हेतु पोलीसी जारी की गई है उक्त पोलीसी दिनांक 27.11.2021 को जारी की गई है तथा चरागाह में उसे अतिक्रमियों को 100 वर्गमीटर भूमि तक पट्टा देने बाबत प्रक्रियां निर्धारित की है तथा यह भी कहा है कि इस व्यक्ति के पास पूर्व में आवासीय मकान उसे ग्राम पंचायत में नहीं होना चाहिए। अपीलांत द्वारा बहस में यह बताया कि उक्त भूमियों के आबादी प्रयोजनार्थ आरक्षण हेतु दस्तावेजों में सन् 2013 में लिया जाकर कागज प्रस्तुत किये गये है।

समग्र विवेचन से स्पष्ट है कि हालांकि अपीलांत अतिक्रमी है। मगर संवत् 2078 में दर्ज प्रकरण 1034/2021 में एल आर एक्ट 91 की कार्यवाही के दौरान नायब तहसीलदार बनेठा द्वारा अपीलांत को पूर्ववर्ती संवत् 2077 की कार्यवाही में बिना भौतिक रूप से बेदखल किये हुए पश्चातवर्ती अतिक्रमी माना है जो गलत है। इसे प्रथम अपील न्यायालय द्वारा भी दौहराया गया है। जो तथ्यों के विपरीत है। वस्तुतः पूर्ववर्ती प्रकरण 2077 में कागजी कार्यवाही की जाकर भौतिक कार्यवाही नहीं की गई। अतः अपीलाधीन आदेश दिनांक 16.07.2021 व दिनांक 25.11.2021 में 60 दिवस सिविल कारावास की सजा को स्थगित किया जाता है। साथ ही नायब तहसीलदार बनेठा को निर्देशित किया जाता है कि राजस्व विभाग के परिपत्र दिनांक 27.12.2021 के संदर्भ में तथ्यों का परिक्षण कर आवश्यक प्रस्ताव जिला प्रशासन को प्रेषित करें।

### क्रियात्मक आदेश

अपील अपीलांत आंशिक रूप से स्वीकार की जाती है, अपीलाधीन आदेश दिनांक 16.07.2021 द्वारा नायब तहसीलदार बनेठा एवं दिनांक 25.11.2021 द्वारा

जिला कलक्टर न्यायालय टोंक द्वारा दी गई 60 दिवस की सिविल कारावस सजा को स्थगित किया जाता है। साथ ही नायब तहसीलदार बनेठा को प्रदर्शित किया जाता है कि राजस्व विभाग के परिपत्र दिनांक 27.12.2021 के अनुसरण में दिये गये निर्देशों के अनुरूप उपयुक्त प्रस्ताव तैयार कर जिला प्रशासन को प्रेषित करें।

यह आदेश आज दिनांक 20.05.2022 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(गजेन्द्र सिंह राठौड़)  
अतिरिक्त संभागीय आयुक्त  
अजमेर